संख्या-7/2018/15/23/2006-का-4-2018

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 17 अप्रैल, 2018

विषय:-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु स्वीकृत पद लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष को समीक्षा अधिकारी (लेखा) किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या-708/33अधि./89-90, दिनांक 03.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति विशेष भत्ते को समायोजित कर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु स्वीकृत पदों, लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष का पदनाम परिवर्तित करते हुए, समीक्षा अधिकारी (लेखा) किये जाने एवं संशोधित वेतन बैण्ड-2 रूपये-9300-43800 एवं ग्रेड वेतन रूपये-4800.00 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पर वेतनमान एवं ग्रेड वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24.12.2009 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-128/दस/2018, दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-15/23/2006(3)-का-4-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

www.shasanadesh.up.nic.in